फर्द अहकाम

मालू बनाम सरकार वगैरा

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (न्यायालय) जमवारामगढ़

केस संख्या 66/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली के कोर्टफीस पर बहस करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 6/5/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	6/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस प्राप्त कोर्टफीस रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने प्राप्त कोर्टफीस पर सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक तहसीलदार बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद को तकासमा हेतु निर्देशित किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पर्चा पृथक से जारी होकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली मे निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैफियत मुरतब होकर नक्शा से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
66/2019	12/04/2019	06/05/2024

1. सरजू देवी पत्नि स्व0 रामगोपाल उम्र 65 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्रम नयाबास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादीया

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र छोटू
2. राधामोहन पुत्र स्व0 रामगोपाल
3. विनोद पुत्र स्व0 रामगोपाल
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।
5. उप पंजियक महोदय जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री हनुमान सहाय शर्मा :— वकील वादीया

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादीया की ओर से अधिवक्ता ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम नयाबास, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 64 रकबा 0.950है0 भूमियां है। जिनकी वादीया संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादिया का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 10.10.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादीया की एक तरफा सुनी गई। वकील वादीया ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नयाबास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के

निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	राधामोहन पुत्र रामगोपाल हि0 1/6 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार, विनोद पुत्र रामगोपाल हि0 1/6 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र छोटू हि0 1/2 जाति हरि0ब्रा0सा0देह खातेदार, सरजू पत्नि स्व0 रामगोपाल हि0 1/6 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार।	64	0.66	चा0 3	10.56
	योग	किता 1	0.66	चा03	10.56

—: प्रस्तावित :—

खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	राधामोहन पुत्र रामगोपाल हि0 1/3 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार, विनोद पुत्र रामगोपाल हि0 1/3 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार, सरजू पत्नि स्व0 रामगोपाल हि0 1/3 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार।	64/1	0.33	चाही 3	5.28
	योग	किता 1	0.33	—	5.28
2	शंकरलाल पुत्र छोटू हिस्सा सम्पूर्ण खाता जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार	64/2	0.33	चाही 3	5.28
	योग	किता 1	0.33	—	5.28

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग—अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीया एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीया एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

सरजू देवी बनाम शंकरलाल वगैo

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राoटीoएक्ट

मुकदमा नम्बर – 66/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री हनुमान सहाय शर्मा अधिवक्ता वादीया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नयाबास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादीया एव प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

ा या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	राधामोहन पुत्र रामगोपाल हि0 1/6 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार, विनोद पुत्र रामगोपाल हि0 1/6 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र छोटू हि0 1/2 जाति हरि0ब्रा0सा0देह खातेदार, सरजू पत्नि स्व0 रामगोपाल हि0 1/6 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार।	64	0.66	चा0 3	10.56
	योग	किता 1	0.66	चा03	10.56

–: प्रस्तावित :–

ा या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
	राधामोहन पुत्र रामगोपाल हि0 1/3 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार, विनोद पुत्र रामगोपाल हि0 1/3 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार, सरजू पत्नि स्व0 रामगोपाल हि0 1/3 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार।	64/1	0.33	चाही 3	5.28
	योग	किता 1	0.33	–	5.28
	शंकरलाल पुत्र छोटू हिस्सा सम्पूर्ण खाता जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार	64/2	0.33	चाही 3	5.28
	योग	किता 1	0.33	–	5.28

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीया एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 06/05/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़